संख्या-1469/2025/1713/22-2-2024-17(752)/2025

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक: 03 दिसम्बर, 2025

विषय:- जिला कारागार, बाराबंकी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी परशुराम पुत्र श्री छंगालाल, निवासी जनपद-बाराबंकी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-30396/प्रो०अनु०(2)-06/2024(बैठक दिनांक-03-10-2024) दिनांक-08-10-2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, बाराबंकी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी परशुराम पुत्र श्री छंगालाल, जो ग्राम-करोरा, थाना-बदोसराय, जनपद-बाराबंकी का निवासी है। दिनांक 23.06.2020 को बंदी ने शराब पीकर गौशाला का मुख्य चौकीदार होने को लेकर हुये विवाद के कारण राजेश के साथ गाली-गलौच व मार-पीट कर एवं गर्दन पर वार कर घायल कर दिया। उपचार के दौरान राजेश की मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-03/2022 में भा०द०वि० की धारा-304 के भाग-2 में मा० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-10, बाराबंकी के आदेश दिनांक 07.07.2023 द्वारा 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक-30.09.2024 तक अपरिहार 04 वर्ष, 03 माह, 06 दिन तथा सपरिहार 04 वर्ष, 05 माह, 24 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बाराबंकी द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने, पुनः अपराध करने की सम्भावना से इंकार नहीं किये जाने एवं बंदी के परिवार की सामाजिक व आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी दिनांक 23.06.2020 को बंदी ने शराब पीकर गौशाला का मुख्य चौकीदार होने को लेकर हुये विवाद के कारण राजेश के साथ गाली-गलौच व मार-पीट कर एवं गर्दन पर वार कर घायल कर दिया। उपचार के दौरान राजेश की मृत्यु हो गयी। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी द्वारा पुनः अपराध की सम्भावना से इन्कार नही किये जाने एवं बंदी के परिवार की सामाजिक व आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी परशुराम पुत्र श्री छंगालाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

5- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, बाराबंकी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी परशुराम (बन्दी संख्या-312/2023) पुत्र श्री छंगालाल, निवासी जनपद-बाराबंकी को यू०पी० प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1469/2025/1713(1)/22-2-2024 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बाराबंकी।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, बाराबंकी।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-1469/2025/1713/22-2-2024-17(752)/2025

दिनांक: 03 दिसम्बर, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, बाराबंकी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी परशुराम पुत्र श्री छंगालाल, जो ग्राम-करोरा, थाना-बदोसराय, जनपद-बाराबंकी का निवासी है। दिनांक 23.06.2020 को बंदी ने शराब पीकर गौशाला का मुख्य चौकीदार होने को लेकर हुये विवाद के कारण राजेश के साथ गाली-गलौच व मार-पीट कर एवं गर्दन पर वार कर घायल कर दिया। उपचार के दौरान राजेश की मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-03/2022 में भा०द०वि० की धारा-304 के भाग-2 में मा० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-10, बाराबंकी के आदेश दिनांक 07.07.2023 द्वारा 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक-30.09.2024 तक अपरिहार 04 वर्ष, 03 माह, 06 दिन तथा सपरिहार 04 वर्ष, 05 माह, 24 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बाराबंकी द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने, पुनः अपराध करने की सम्भावना से इकार नहीं किये जाने एवं बंदी के परिवार की सामाजिक व आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी दिनांक 23.06.2020 को बंदी ने शराब पीकर गौशाला का मुख्य चौकीदार होने को लेकर हुये विवाद के कारण राजेश के साथ गाली-गलौच व मार-पीट कर एवं गर्दन पर वार कर घायल कर दिया। उपचार के दौरान राजेश की मृत्यु हो गयी। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी द्वारा पुनः अपराध की सम्भावना से इन्कार नही किये जाने एवं बंदी के परिवार की सामाजिक व आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी परशुराम पुत्र श्री छंगालाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।